

# कार्यालय सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार संभाग, रायपुर (छ.ग.)

नस्ती क्रमांक .....

पृष्ठ क्रमांक .....

विषय :- मालयान क्रमांक .....को केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 के नियम 86 की धारा 88 एवं नियम 1989 के नियम 86 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार पत्र स्वीकृत किये जाने बाबत आवेदन पत्र ।

1. केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 एवं नियम 1989 के नियम 86 के अंतर्गत मालयान क्रमांक .....के पंजीकृत स्वामी श्री ..... पिता श्री ..... निवासी ..... अपनी वाहन को राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित फार्म का विहित शुल्क रु. .... चालान क्रमांक/रसीद क्रमांक ..... दिनांक .....को जमा कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसका चालान रिकनसाईल दिनांक .....को किया गया है ।
2. वाहन का कलर सत्यापन दिनांक .....को ..... द्वारा किया गया है ।
3. इस पंजीकृत वाहन पर पंजीयन तिथि से किसी भी प्रकार का कर बकाया नहीं है एवं त्रैमासिक कर दिनांक .....तक जमा है ।
4. बीमा की वैधता .....है ।
5. फिटनेस की वैधता .....है ।
6. वाहन का मॉडल .....तथा पंजीयन तिथि .....है । वाहन का चेसीस क्र. ....तथा इंजन क्र. .... अतः वाहन राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र का प्राधिकार पत्र आगामी पांच वर्षों के लिये इस शर्त के साथ स्वीकृत किये जा सकता है कि दिनांक .....को समाप्त हो जावेगा ।
7. वाहन का सकलभार भार .....एवं लदान रहित भार .....है ।
8. वाहन इसी / उप कार्यालय द्वारा पंजीबद्ध है ।
9. वाहन स्वामी के स्वामित्व के पूर्व मालयान परमिट की जानकारी ..... एवं वाहन की संख्या .....
10. प्रस्तुतकर्ता :-  
आवेदक का नाम श्री ..... मोबाईल नं. ....  
वाहन स्वामी के प्रतिनिधि का नाम ..... मोबाईल नं. ....

प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है । .